भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2137
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

†2137. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं, में से 16 में कार्य नहीं हो रहा है और उन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मौजूदा चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोई प्रकोष्ठ नहीं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें;

(घ) क्या मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों के लिए निधि की कमी है;

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रकोष्ठों को समय पर निधि आवंटित और संवितरित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या अनेक प्रकोष्ठों में बैठकों और चर्चाओं के लिए कोई कमरा नहीं है, तथा आरक्षण के संबंध में सूचना नहीं है अथवा आरक्षित कोटा के कार्यान्वयन की जांच हेतु कोई तंत्र नहीं है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त संस्थान हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए क़ानूनों द्वारा शासित होते हैं। सभी आईआईटी में कार्यात्मक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं, और सुचारू संचालन के लिए उन्हें अपने संबंधित संस्थानों से आवश्यक वित्तपोषण और लॉजिस्टकल सहायता मिलती है।

*****